23 अवैध कनेक्शन हटाए

नसीराबाद,(निसं)। ग्रामीण जल उपखंड नसीराबाद के अंतर्गत रामसर से तिहाड़ी तक की राइजिंग मेन पाइपलाइन पर जलदाय विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए।

यह कार्रवाई विभाग को मिल रही लगातार शिकायतों के बाद की गई। जलदाय विभाग की विशेष टीम ने निरीक्षण के दौरान पाइपलाइन से की जा रही अवैध जल निकासी को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कनेक्शन हटाए। इन अवैध कनेक्शनों के कारण क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं को नियमित जल आपूर्ति में परेशानी हो रही थी। इस कार्रवाई में ग्रामीण जल उपखंड नसीराबाद के अभियंता, लाइन स्टाफ और अन्य विभागीय कार्मिक मौजूद रहे। विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे भी इस प्रकार की निगरानी जारी रहेगी और अवैध जल उपभोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे जल का संयमित उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध कनेक्शन गतिविधि से दूर रहें। विभाग का यह कदम पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खोया-पाया

मेरा एक भूखण्ड संख्या जी-43, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की गणेश गुवाडी योजना में स्थित है। उक्त भूखण्ड की श्रृंखला के मूल दस्तावेजों में से मूल आवंटन पत्र कहीं गिर जाने के कारण खो गया है। जिस किसी को भी उक्त दस्तावेज मिले मुझे सूचित करें।
विनोद कुमार सुपुत्र श्री राम निवास कुमावत, निवासी गली नंबर 2, चौरसियावास रोड, अजमेर, मो. 9887720300

खोया-पाया

मेरा एक भूखण्ड संख्या 150, क्षेत्रफल 175.50 वर्ग मीटर जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की बी.के. कौल नगर योजना में स्थित है। उक्त भूखण्ड की श्रृंखला के मूल दस्तावेजों में से आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, एक मुश्त राशि का चालान कहीं गिर जाने के कारण खो गया है। जिस किसी को भी उक्त दस्तावेज मिले मुझे सूचित करे।
मन्नी राम खीचड़ सुपुत्र श्री हरफूल सिंह, निवासी वाकरा, झुंझुनूं (राज.) मो. 9530227999

समीक्षा बैठक हुई

डीडवाना। जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने जिले में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, लू - तापघात के मध्यनजर चिकित्सा व्यवस्था एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों व सभी उपखंड अधिकारियों को नियमित रूप से ठामीणों क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण करने एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए।

प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों की मुख्य सचिव ने समीक्षा की

जयपुर/अजमेर, (कासं)। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

सचिवालय में आयोजित बैठक में बुधवार, 7 मई को प्रस्तावित मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट हेतु संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संचार माध्यमों एवं सायरनो को तुरंत दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जाए।

अजमेर में मॉक ड्रील के सम्बंध में अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, जल संसाधन एवं पीएचईडी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभागों के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभागों के शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, महानिदेशक इन्टेलिजेन्स, महानिदेशक गृह रक्षा, प्रबंध निदेशक, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंधक, उ.प. रेलवे जयपुर, कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद दल, ग्रुप कैप्टन, एयर फोर्स स्टेशन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, कमाण्डेंट छठी बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनसीसी निदेशक, जयपुर एयरपोर्ट निदेशक इत्यादि अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी अधिकारीगण ने बैठक में आपसी समन्वय से मॉक ड्रिल संपन्न करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की। अजमेर से वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं वंदना खोरवाल सहित प्रशासन, पुलिस एवं विभागीय अधिकारी जुड़े।

डोटासरा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत

मेड़ता सिटी, (निसं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविद सिंह डोटासरा का मीरा नगरी मेड़ता पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकताओं ने गर्म जोश के साथ अभिनंदन किया । इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कांठोस पार्टी ने विधानसभा चुनाव मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी पर कही चूक होने के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई पर कांठोस पार्टी के हर आम कार्यकर्ता को कमर कसनी हे और कड़ी मेहनत करनी हे ।

भाजपा सरकार को डेढ़ साल से ज्यादा हो गया पर उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया जो काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए उनको ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा कर काम कर रहे हे । डोटासरा ने आर एस एस के खिलाफ बोलते हुए भी ये कहा कि आर एस एस शाखा केवल झूठ व नफरत की पाठशाला हे इसके अलावा कुछ नहीं वही डोटासरा ने कहा गुजरात में जो प्रशिक्षण चल रहा हे उसने केवल झूठ बोलना सिखा रहा हे झूठ भी जोर जोर से बोलना सिखा रहा हे । साथ फरेब के साथ कई नफरत की पाठशाला पढ़ा रहे हे ।

प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा में मेड़ता दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया वही डोटासरा का रास्तों में कई जगहों पर माला व साफा तथा स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया । इस मौके पर पूर्व कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा , मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी , हनुमान बागड़ा, मेड़ता कांठोस पार्टी विधायक प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि , मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक, रामकरण कमेडिया, एन आई एस यू प्रदेश अध्य्यन अभिषेक चौधरी, मेड़ता ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम बेड़ा, नंदकुमार अठावाल, पार्षद जाकिर खान सांखल, नंदाराम मेहरिया, सुशील लटियाल, नरेश गोलियां, सुरेंद्र बापेडिय, लाल राम नायक, दशरथ सारस्वत, मूल सिंह देवड़ा, अजय जाव, जेशान कुरैशी सहित कई पदाधिकारी व कार्यकता मौजूद थे।

4 आरोपियों की गिरफ्तारी

डीडवाना । पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं के आभूषण लूटने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक आई 20 कार भी बरामद की है। यह गैंग डीडवाना और उसके आसपास के जिलों में महिलाओं को निशाना बनाती थी और महिलाओं के आभूषण लूटने के अलावा राहगीरों से लूट, बाइक लूट, वाहनों से डीजल चुराना, बकरियां चुराने जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। पुलिस की पूछताछ में इस गैंग ने डीडवाना सहित आसपास के जिलों में 20 से अधिक वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डीडवाना जिले में लगातार चोरी, लूट ओर नकबजनी जैसी घटनाएं बढ़ रही थी।

एआई प्रशिक्षण बैच का विधिवत शुभारंभ

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। आईसीएआई किशनगढ़ शाखा के तत्वाधान में तीन दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण बैच का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य फेकल्टी डॉ सौरभ माहेश्वरी कोटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी अवधारणाओं, कार्यप्रणाली और भविष्य में संभावित उपयोगों पर विस्तृत जानकारी सांझा की। अध्यक्ष सीए विवेक गर्ग ने कहा यह प्रशिक्षण सत्र एआई के प्रति सदस्यों की जागरूकता बढ़ाने सहित व्यावसायिक क्षेत्र में इसके उपयोग को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे दिन के सत्र में फेकल्टी सीए आलोक सेठी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एआई टूल्स, ऑटोमेशन व डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों पर चर्चा कर जानकारी दी की कैसे यह तकनीक विभिन्न व्यवसायिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना सकती है। सचिव सीए जितेश कोठारी ने बताया कि प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों को प्रायोगिक अभ्यास कराया।

किशनगढ़ में ए आई प्रशिक्षण बेंच का शुभारंभ हुआ।

आवासीय विद्यालय का निरीक्षण

मसूदा । का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थी एवं स्टाफ आवास एवं भोजन शाला, कक्षा- कक्षों,जल एवं विद्युत व्यवस्था की जानकारी छात्रावास अधीक्षक गौतम चंद ने दी। विद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था एवं विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे भोजन व्यवस्था को देखकर संतुष्टि प्रकट की तथा स्वयं ने स्टाफ के साथ भोजन करके, भोजन की गुणवत्ता पर भी संतुष्टि प्रकट की। दुबे ने विद्यार्थियों से अध्ययन एवं सहशैक्षणिक गति विधियों संबंधी जानकारी प्राप्त की।निरीक्षण पश्चात विद्यालय स्टाफ को आवश्यक संबलन प्रदान किया एवं स्टाफ ने प्रथम बार विद्यालय में निरीक्षण के दौरान शिवकुमार दुबे तथा छात्रावास अधीक्षक शार्दुल सिंह एवं गोतम चंद का माल्यार्पण, कुमकुम तिलक लगाकर तथा साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यवाहक प्राचार्य मदनलाल पंचोली, निंबाराम गुर्जर,अमित सेन, सूर्यवीर प्रताप मेवाड़ा, शाहरुख खान, राव उपस्थित रहे।

केंद्रीय विश्वविद्यालय में धरना जारी

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। एबीवीपी की और से छात्र छात्राओं से जुडी विभिन्न समस्याओ को लेकर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने के दूसरे दिन गठित की गई कमेटी को मांग पत्र सौंपने के बाद कमेटी की बैठक 3 मई को बुलाई गई थी। कुलपति, कुलसचिव, कमेटी सदस्य व विद्यार्थियों के बीच चार घंटे से अधिक चली वार्ता में सार्थक परिणाम सामने नहीं आ सके। कमेटी सदस्यों ने पुनः धरनास्थल पर जाकर विद्यार्थियों से बातचीत कर उनका पक्ष जानकर सोमवार को विद्यार्थियों को प्रशासनिक भवन में बातचीत के लिए बुलाया। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष रामुराम ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक हुई बैठकों में सभी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन जब तक लिखित में ठोस आश्वासैन नहीं मिल जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2025/525 — **लोक सूचना** — दिनांक : 06.05.2025

श्री दुर्गालाल बैरवा पुत्र श्री छोटूलाल बैरवा निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला ब्यावर तहसील बिजयनगर	नगर	1780/1581	1618.00 वर्गमीटर औद्योगिक(कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ)

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2025/531 — **लोक सूचना** — दिनांक : 06.05.2025

श्री राजू पुत्र श्री माधु निवासी नाड़ी मोहल्ला बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला ब्यावर तहसील बिजयनगर	बिजयनगर	989/970	162.00 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान)
भीलवाडा रोड रोडवेज बस स्टैण्ड के पास
E-Mail ID-combebp@yahoo.in spbgulabpura@gmail.com Telephone No.01483-223079

क्रमांक न.पा.गु/कृषि-भूमि/2025/112-14 — **आपत्ति आमंत्रण सूचना** — दिनांक : 05.05.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि भूमि नियमन के तहत् पट्टे प्राप्त किए जाने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम खास / संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में लिखित रूप से आपत्तिकर्ता मय अपने दस्तावेजो के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपति दर्ज करवा सकते हैं बाद मियाद आवेदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

क्र. सं	रजिस्टर क्रमांक	दिनांक	नाम आवेदक	खसरा नं.	भूखण्ड सं.	साईज	क्षेत्रफल	इकररानामा/ रजिस्ट्री
1.	185	3.3.25	श्रीमती मोनिका राठौड़ पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत	794/4	14	25×40	111.11	विक्रय इकरार नामा

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2025/488 — **आम सूचना** — दिनांक : 05.05.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लाट गृहकर पंजिका में अन्तरण हेतु निम्न संयुक्तीकरण पत्रावली प्राप्त हुई है। अगर किसी को आपति/उज्ज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्ज/आपति मान्य नहीं होगी।

फाईल नं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/नामान्तरण	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
34	श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी शान्त-क्रान्ति जैन श्रावक संघ अधिकृत श्री शांतिलाल जैन पुत्र सोहनलाल जैन	1. श्री प्रेमचन्द सेन पुत्र रतनलाल सेन 2. डूंगरवाल पुत्र सुगनचन्द डूंगरवाल	अभय रेजीडेन्सी राजस्व ग्राम बरल द्वितीय बिजयनगर ख.सं. 2446/2059 भू. सं. 10,11,12	372.22 SQ.Yards	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत ऊँटड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.ऊँटड़ा/महानरेगा/निविदा/2025-26/62 — दिनांक : 02.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत ऊँटड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 03.05.2025 से 12.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
NIB NO:- ZAJ2526A0312
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00364

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ऊँटड़ा

प्रशासक
ग्राम पंचायत ऊँटड़ा

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक/न.पा.बि./निर्माण.स्वी./2025/491 — **आम सूचना** — दिनांक : 05.05.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज्ज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्ज/आपति मान्य नहीं होगी।

फाईल नं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
13	हिमांशु अब्बानी पुत्र पूनमचन्द अब्बानी	मारूतिनगर बरल द्वितीय ख.सं. 950 951,953,954,956 भू.सं. 6-सी	148.64 SQ.MTR	आवासीय
14	शुभम अब्बानी पुत्र पूनमचन्द अब्बानी	मारूतिनगर बरल द्वितीय ख.सं. 950 951,953,954,956 भू.सं. 179	178.368 SQ.MTR	आवासीय
15	मन्जू अब्बानी पत्नि पूनमचन्द अब्बानी	महावीर कॉलोनी मानसिंहका बरल द्वितीय बिजयनगर ख.सं.1086/1 भू.सं. 107	116.125 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

पूजा अर्चना और संकल्प के साथ अखंड रामायण पाठ शुरु

पुष्कर । पुष्कर के रामधाम तिराये पर स्थित नौ खंडीय तुलसी मानस हनुमान मंदिर में आज जानकी नवमी के पावन अवसर पर पूजा अर्चना और संकल्प के साथ अखंड रामायण पाठ के तहत 24 घंटे राम चरित मानस पाठ का शुभारंभ हुआ जो हरि इच्छा तक लगातार जारी रहेगा। यह पाठ अलग-अलग पारियों में 6 पंडित करेंगे।

मंदिर के महंत महामंडलेश्वर नंदराम शरण महाराज ने बताया मंदिर में अब तक केवल हनुमान जयंती एवं विशेष पर्व पर ही अखंड रामायण पाठ किया जाता था। लेकिन अब भगवान राम व हनुमान जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से मंदिर में अनवरत अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हो गया है।उन्होंने बताया कि देश मे खुशहाली, समृध्दि आये और सनातन धर्म संगठित होकर मजबूत हो इसी भाव के साथ यह अनूठा आयोजन शुरू किया गया है।आज इस आयोजन का बीड़ा उठाने वाले भक्तों ने महामंडलेश्वर नंदराम शरण महाराज के सानिध्य में हनुमान जी और रामचरित मानस की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और संकल्प कर शुभारंभ किया ।भगवान राम, लक्ष्मण व जानकी तथा हनुमान जी का अभिषेक, श्रृंगार, पूजा व आरती की गयी। महामंडलेश्वर नंदराम शरण महाराज ने बताया कि अखंड पाठ हनुमान जी भक्तों के सहयोग से शुरू हुआ है और जब तक भक्तों का सहयोग मिलता रहेगा तब तक अनवरत 24 घंटे मंदिर में रामायण पाठ चलता रहेगा।इस दौरान पंडितों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले इच्छुक भक्त भी अपनी सुविधानुसार मंदिर में बैठ कर चौपाइयों का वाचन कर सकेंगे। पाठ के लिए पुष्कर के अलावा अजमेर, किशनगढ़, जयपुर सहित बिहार के भक्त भी यथा संभव सहयोग कर रहे है। इस मौके पर मंदिर परिसर मे ही राम चरित्र मानस की शोभायात्रा निकाली गयी। लल्ला जी और कान्हाजी के परम उपासक लाला,संजय भोमिया ने आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भागीदार बने सभी भक्तों का आभार जताते हुए कहा कि तीर्थनगरी में जब 24 घण्टे रामायण की चौपाइयां गूंजेगी तो पुष्कर सहित देश और दुनिया मे खुशहाली आएगी ।इस दौरान लाला भोमिया,संजय भोमिया, धनेश राजगुरु,गोविन्द पाराशर, मांगीलाल चौधरी,राकेश भट्ट, रेशु पाराशर, राजेन्द्र जैन,सहित अनेक भक्तगण मौजूद रहे।

276 किलो थैलियां जब्त

उदयपुर, (कासं)। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार दूसरे दिन बडी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा की टीम द्वारा शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर औचक कार्यवाही कर भारी मात्रा में सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है।सोमवार की तरह मंगलवार को भी नगर निगम द्वारा बडी कार्रवाई करते हुए 276.90 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई।

'विवादित भूखंडों का जल्द होगा निपटारा'

अजमेर । अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विकास को गति देने के कार्य में तेजी लाई जा रही है इसी के तहत एडीए अब शीघ्र ही चाचियावास में अटल आवासीय योजना तथा पुष्कर में सूरजकुंड के आसपास रिजॉर्ट परियोजना में विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं साथ ही एडीए योजनाओं में विवादित भूखंडों के मामले का निपटारा भी जल्द करने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसमें वह लोग शामिल है जो एडीए की योजना में प्लांट तो खरीद चुके हैं लेकिन उन्हें कब्जा अभी तक नहीं मिला है, उन्हें कब्जा मिलेगा। वहीं एडीए को जमीन देने वालों को मुआवजा व विकसित प्लाट मिलेगा।

एडीए आयुक्त नित्य के द्वारा इस मामले में गंभीरता से कार्य योजना बनाई जा रही है।

एडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी खेमाराम यादव ने बताया कि लैंड फॉर लैंड के 11 प्रकरण है जिसमें चंद्रवरदाई नगर योजना के चार प्रकरण, पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना के चार प्रकरण तथा वैकल्पिक भूखंडों के में तीन प्रकरण शामिल हैं । यादव ने बताया की मंगलवार को सचिव अनिल कुमार पुनिया से चर्चा हुई तथा आयुक्त नित्या के. के साथ चर्चा कर लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।

58 फुट श्री शान्तिनाथ भगवान के सामूहिक रूप से मंत्रोचारण के साथ महामस्तकाभिषेक किये

अजमेर (कासं)। जैन नगर नाका मदार स्थित नवनिर्मित श्री जिनशासन तीर्थक्षेत्र हेतु सोनीनगर जैन मन्दिर के सदस्यों का दल व श्री दिगम्बर जैन महासमिति के पदाधिकारियों द्वारा दर्शनार्थ एवं वंदना की गई। डॉ. राजकुमार गोधा व श्री दिगम्बर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व अजमेर संभाग के महामंत्री कमल गंगवाल ने बताया कि सभी सदस्यो ने 58 फुट श्री शान्तिनाथ भगवान के सामूहिक रूप से मंत्रोचारण के साथ महामस्तकाभिषेक किये तत्पश्चात श्री शान्तिनाथ भगवान की पूजन डॉ. राजकुमार गोधा के निर्देषन में सम्पन्न हुई ।

प्रवक्ता संजय कुमार जैन ने बताया कि नवनिर्मित तीर्थ का पंचकल्याणक आचार्य श्री वसुनंदीजी महाराज ससंघ के सान्निध्य में 20 से 25 अप्रेल के मध्य सानंद पूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें 58 फुट की विश्व की सबसे बडी खडगासन श्री शान्तिनाथ भगवान मूर्ति सहित 24 भगवान के जिनालय शिखर, ध्वज, कलश व सहस्त्रकूट जिनालय समवशरण जिनालय सहित है जो देखने में अतिसुन्दर रचना है के भक्ति भावपूर्वक दर्शन किये। सभी ने निर्णय लिया कि राजस्थान के अन्य तीर्थो की वंदना भी आगामी सत्र में सामूहिक रूप से करेंगें।

महामस्तकाभिषेक व पूजन करने वालो में डॉ. राजकुमार गोधा, संजय कुमार जैन, कमल गंगवाल, मनोज जैन, महावीर जैन, निर्मल गंगवाल, निर्मल गदिया, सुनील कुमार जैन, पवन गोधा, श्याम बडजात्या, विमल जैन, विजय पांडया, देवर्ष गंगवाल, मनोज कासलीवाल, दीपक दोसी, प्रतिष्ठाचार्य कुमुदचंद सोनी प्रदीप बडजात्या, प्रकाष पल्लीवाल, डॉ. सुदीप सोनी, पिंकी जैन, सरिता जैन, रूबी जैन, मोना जैन, उर्मिला सोनी, मंजू गंगवाल, प्रमिला जैन, मुन्नीदेवी गदिया, सुनीता जैन आदि थे।

श्री शान्तिनाथ भगवान की पूजन डॉ. राजकुमार गोधा के निर्देशन में सम्पन्न हुई ।

- नवनिर्मित श्री जिनशासन तीर्थक्षेत्र की सोनीनगर मन्दिर कमेटी व श्री दिगम्बर जैन महासमिति के पदाधिकारियों ने की वंदना

एफएसएसएआई fssai — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

अंतिम तिथि: 21 मई 2025!

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिये
(केवल FSSAI के FOSCOS पोर्टल के माध्यम से)

सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य के निर्माता, आयातक और निर्माता-निर्यातक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा करेंगे

- एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के खंड 2.1.13 और लाइसेंस की शर्तें 05 देखें
- वार्षिक रिटर्न कैसे दाखिल करें:
  - चरण 1: FoSCos पोर्टल में लॉगिन करें
  - चरण 2: बाएं मेनू पर जाएं-> वार्षिक रिटर्न-> वार्षिक रिटर्न भरें

वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 'शून्य' उत्पादन के लिए भी फाइल किया जाएगा
- यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है या वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरेंडर कर दिया गया है, तो भी यह मामला दायर किया जाएगा।
- 31 मार्च 2025 से पहले नया लाइसेंस प्राप्त होने पर भी यह फाइल किया जाएगा।
- रीपैकर और रीलेबलर को भी वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

गैर-अनुपालन के परिणाम:

- जुर्माना: 1 जून 2025 से प्रतिदिन 100 रूपये
- एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है

अधिक जानकारी के लिए:

- FoSCos पर जाएँ
- FSSAI की हैल्पलाइन @1800112100 पर सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक कॉल करें।
- कृपया helpdesk-foscos@fssai.gov.in पर लिखें।

fssaiindia fssai fssai_safefood fssaiindia f